संख्या- 01/2018/1118/84-3-17-नि0-12/99टी.सी.

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3 लखनऊ ::दिनांक 04 जनवरी, 2018

विषय:- उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7-2017/वे0आ0-1-666/दस-2017-36(एम)/08, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस से संबंधित व्यय अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-04-उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-961/दस-2017, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अशोक कुमार मिश्र
अनु सचिव।

संख्या:01/2018(1)/1118/84-3-2017-नि0-12/99टी.सी;तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(4) उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in